

24-2006 11:13 FROM:

TO: 05942235079

P:2

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं में अर्जन कर को कटवा लेने के बाद ही धनराशि का
क्या जायेगा और यदि कटवा प्राप्त नहीं होता तो उस योजना हेतु धनराशि का आवंटन नहीं किया

दि उक्त कार्य में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य निगमों के बजट से
शि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शरणादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का
करके धनराशि शरणा को समर्पित कर दिया जायेगा।
व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों
त शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व
कार्य के आगमनों/पुनरीक्षित आगमनों और अशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत
पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्ति कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का निम्न
006 तक उपयोग अभिविधित कर लिया जायेगा कि कसते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन
जाय।

आगामी फिस्त तब ही अनुमति की जायेगी जो स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य
तिस/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता आगमन प्राप्त कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण
के उपरान्त ही आगामी फिस्त अनुमति दी जायेगी।
कार्य की गुणवत्ता एवं समयावधिता हेतु निम्नलिखित आदेशों का अमल पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान में 2005-06 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग में
संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़क निर्माण पर पुंजीगत परिवर्धन -04 जिसका नाम अन्य मदों-
नागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्माण कार्य-24 गृह निर्माण कार्य के नामे डाला

यह आदेश वित्त अशासकीय संख्या-ग.ओ.-290/XXVII
2005 दिनांक 13 जनवरी, 2006 को अशासकीय समिति से जारी किया जा रहा है।
क:- 76 कार्यों की सूची।

(लोक निर्माण विभाग)
संयुक्त सचिव।

1-63 (1)/111-2/05, तदनुसार

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जायेगी कि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव
- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवरसीयर, लोक निर्माण, माजरा कैलासपुर।
- आयुक्त महवाल/कुमायू महडोल, माजरा कैलासपुर।
- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, माजरा कैलासपुर।
- मुख्य अभियन्ता, महवाल/कुमायू, माजरा कैलासपुर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, माजरा कैलासपुर।
- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन विभाग, माजरा कैलासपुर।
- लोक निर्माण अनुभाग-1/3, माजरा कैलासपुर।
- गार्ड फुल।

कोटो फिस्त प्रकाशित
सहायक अभियन्ता।
निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग
म. कैलासपुर

आज्ञा से
(लोक निर्माण विभाग)
संयुक्त सचिव।

P4-2006 11:13 FROM:

TO:05942235079

P:3

देश-संख्या-63/111(2)/06-91(प्र.आ.)/05 दिनांक 6 जनवरी, 2006 का खलपत्र
(घनराशि लाख रुपये में)

कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005-06 में ध्यय की स्वीकृति
2	3			
भीताल में रामगढ़ वि०ख० के अन्तर्गत तखोल : ग्राम गंगनाथ मंदिर से 0.50 कि० मी० प्युड़ा तक मोटर मार्ग	1.500	26.70	26.70	0.05
ल्मोड़ा में चौखुटिया के अन्तर्गत लशैज खान-गनाई मोटर मार्ग कि०मी० 8 से 57 (चौखुटिया से मांसी)		213.00	208.80	0.05
भदवानी-नाहसैण-बेहडाखान मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य 1 से 7 एवं 7.4 से 25.00 तक	24.60	360.39	360.39	0.05
पौडी गढवाल में एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत गैमोली-धुस-बडोली मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	69.00	69.00	0.05
पौडी गढवाल में एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत पणखेत (जडदादेवी)- योली-अन्दीकिल-गुराडतल्ला- गुराडमल्ला-खातीखाव-टोपरिया भदमोली-रीठाखाल मार्ग का निर्माण	15.00	258.75	258.75	0.05
पौडी गढवाल में एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत ओडगांव सम्पर्क मार्ग के कि०मी० 3 में लौह सेतु का निर्माण	15.00 मी०	17.25	16.35	0.05
पौडी गढवाल में एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत बेरीखाल-बछेली-बग्याली- जडदा-देवी मार्ग का अवशेष बछेली बग्याली मार्ग का निर्माण	6.00	103.50	103.50	0.05
पिथौरागढ़ में पद्माधार-घोरपाल मोटर मार्ग निर्माण व सुधार कार्य	11.100	158.73	158.73	0.05
अल्मोड़ा में दोरा-भेरगाँव-मोतिदापाधार मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 6 में अवशेष कार्यों का आगमन	6.00	61.24	61.24	0.05
पिरान कलियर मेला वर्ष 2006 के अन्तर्गत पिणन कलियर मेला क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़को के सुधारीकरण का कार्य	20.45	449.0	440.34	0.05

P. Gaurami

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
देवीवाड़ा

24-2006 11:15 FPUH:

10:07:44 23/07/13

F-1

25	देहरादून में विधौली गांव के आस्तिक मार्गों का सुधार कार्य (4.25 मी० चौड़े कच्चे मार्ग को 5.95 मी० चौड़े मोटर मार्ग में परिवर्तित कर पक्का करने का कार्य)		52.00	48.50	0.05
26	देहरादून में ग्राम तरली कण्डोली में (चि०ख० सहारापुर) गुरुद्वारा तक सड़क निर्माण	2.01	41.80	39.00	0.05
27	देहरादून में मझौना से रोला, खाराखेत होते हुए शेरुखाला तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	102.00	96.90	0.05
28	देहरादून में न्यू कैंट रोड हाथीबडकला मालसी नया गांव शेष भाग का निर्माण		51.69	51.00	0.05
29	अवस्थापकीय सुविधाओं के अन्तर्गत अम्बाला मसूरी मार्ग के किमी० 189.00 से 194.00 तक बनने वाले फुटपाथ में अतिरिक्त कार्य का आगणन		89.53	89.53	0.05
30	पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लाक में ड्यूल्ड-मुडियाप-थापला गल्ला मोटर मार्ग	5.00	69.50	69.50	0.05
31	पौड़ी गढ़वाल में रीठाखाल से धरमाणी मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	69.00	69.00	0.05
32	पौड़ी गढ़वाल में बांशी-बोरगांव-गज बाड़-गुरुगोश्वर नाथ मन्दिर से रौलीखाल मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	69.00	69.00	0.05
33	देहरादून में नेहरूग्राम(नरथनपुर) मार्ग के शिवालयिक व्यु लेन नं० 7 में मार्ग निर्माण का कार्य	0.200	2.90	2.90	0.05
34	देहरादून में नन्दा की चौकी गाऊवाला मोटर मार्ग से महर्षि विद्या मन्दिर पोखरा तक मोटर मार्ग का निर्माण		29.90	27.50	0.05
35	नेनीताल में बसगांव से तवाखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	168.90	106.80	0.05
36	नेनीताल में कूल-बिरखन-रूंड मोटर मार्ग का निर्माण	4.50	71.20	71.20	0.05
37	नेनीताल में क्वारब-गोना-सरगाखेत मोटर मार्ग के ग्राम गोना से भुजाखान होते हुए ग्राम बैरोली तक शहीद स्मृति मार्ग का निर्माण	3.00	41.20	41.20	0.05
38	नेनीताल में ओडाखान-दाडिम परियापानी मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	146.50	146.50	0.05

निदेशिका क्रि० अ० ३०३८
 निदेशिका क्रि० अ० ३०३८
 निदेशिका क्रि० अ० ३०३८
 निदेशिका क्रि० अ० ३०३८

संख्या: 547/111(2)/09-44(प्र103110)/CB

प्रेषक,

महिमा,

अनुसचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,

लोक निर्माण विभाग,

देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

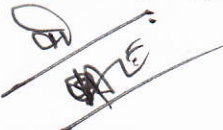
देहरादून, दिनांक 11 फरवरी, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में 07 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय-तथा व्यय की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता कु0से0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये 07(सात) कार्यों के आगणनों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में अंकित 07 कार्यों के लागत कुल रुपये 1072.60 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 1072.60 लाख (रुपये दस करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रु0 0.70 लाख महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व न न भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय और कार्य के शासनादेश संख्या:-4042/111(2)/08-24(बजट)/2008 दिनांक 11-12-08 के मानक से आच्छादन की पुष्टि सुनिश्चित

जोटी प्रति प्रमाणित



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 विभाग

देहरादून

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के लिए धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
11. यदि उक्त कार्य में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
15. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किसी अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 संडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य संडकों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1187/XXVII(2)/2009 दिनांक 10 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- 07 कार्यों की सूची।

भवदीय,

[Signature]

(महिमा)

अनु सचिव

संख्या-547 (1)/111(2)/09-44(प्रौआ10)/08, तदुदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

आयुक्त कुमौऊ मण्डल, नैनीताल।

जिलाधिकारी/कोषाधिकारी नैनीताल।

मुख्य अभियन्ता, कुमौऊ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।

वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

लोटे प्रति प्रमाणित

[Signature]

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. विभाग

नैनीताल,

आज्ञा से,

(महिमा)

अनु सचिव

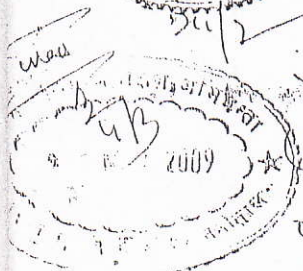
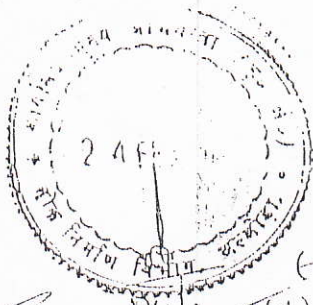
शासनादेश संख्या-547/111(2)/09-44(प्रतिआ0)/08, दिनांक 11 फरवरी, 2009 का संलग्नक।

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमानित लागत	(धनराशि रुपये लाख में)	
				टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय की स्वीकृति
1.	जनपद नैनीताल में ग्राम सिरौड़ी से तोक जाडर तक मोटर मार्ग का निर्माण 80 मीटर स्पान स्टील गडर सेतु सहित।	04.00	437.60	437.60	0.10
2.	जनपद नैनीताल में ग्राम जैना से चन्द्रकोट धूरा मोटर मार्ग का निर्माण।	05.00	175.00	175.00	0.10
3.	जनपद नैनीताल में ओजीकूलों से बेतालघाट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	01.50	52.50	52.50	0.10
4.	जनपद नैनीताल में विकासखण्ड बेतालघाट में हरचनोली से तिनाडी गांव झूला पुल तक मार्ग का निर्माण।	03.50	122.50	122.50	0.10
5.	जनपद नैनीताल में घोड़ियाहल्सी मोटर मार्ग का रोपा तक विस्तार।	04.00	140.00	140.00	0.10
6.	जनपद नैनीताल में प्यूड़ा कालेज से कूल विरखन रोड तक 03 किमी० लिंक रोड का निर्माण (मिर्सि- लिंक)	03.00	105.00	105.00	0.10
7.	जनपद नैनीताल में घोड़ियाहल्सी मोटर मार्ग का डामरीकरण किमी० 1 से 2.	02.00	40.00	40.00	0.10
योग:-			1072.60	1072.60	0.70

(रुपये सत्तर हजार मात्र)

मुख्य अभियन्ता,
डू० बी०, लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल,

अनु सचिव
(महिला)



722
8/3

प्रतिनिधि निम्नलिखित की उपस्थिति में सचिव
को भेजा जा रहा है।
(1) डी० बी०, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल

(2) डी० बी०, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल
को भेजा जा रहा है।
नैनीताल, 26/2/09

RN- 1277/12AC Date-23.3.09

प्रतिनिधि एमएस एडिओ अफिसर
को भेजा जा रहा है।
नैनीताल, 23/3/09

प्रति प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल,